



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 24 सितम्बर, 2024

CRACKDOWN BULANDSHAHR

थाना डिबाई/नरौरा

शातिर चोरों/बदमाशों से स्वाट टीम, थाना डिबाई व थाना नरौरा पुलिस की संयुक्त रूप से हुई मुठभेड़ जवाबी कार्यवाही में 02 बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार कब्जे से चोरी किये गये 48500/- रुपये, अवैध असलहा, कारतूस, 02 आधार कार्ड एवं 02 बैंक चेक बुक बरामद ।

जनपद मे तलाश वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 23/24.09.2024 की रात्रि को थाना डिबाई, थाना नरौरा एवं स्वाट टीम एक अभिसूचना के आधार पर बैलोन त्रिलोकपुर तिराहे पर संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग/गस्त में मामूर थी तभी कुछ देर बाद त्रिलोकपुर की तरफ से 02 संदिग्ध व्यक्ति पैदल आते दिखाई दिए। पुलिस टीम को खड़ा देख बदमाश पीछे मुड़कर चल दिये जिनको रुकने को कहा गया तो नही रुके तथा बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में दोनो बदमाश गोली लगने से घायल हो गये। जिसको घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान **1. विक्की पुत्र नाजम निवासी ग्राम कडिया थाना बोड़ा जनपद राजगढ़ मध्य प्रदेश 2. प्रिंस पुत्र पुरुषोत्तम निवासी ग्राम कडिया थाना बोड़ा जनपद राजगढ़ मध्य प्रदेश के रूप में हुई हैं।** जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

उल्लेखनीय है कि बदमाश शातिर किस्म के चोर है जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इन दोनो घटनाओं को अंजाम दिया था। जिनके द्वारा दिनांक 17.09.2024 को थाना नरौरा क्षेत्रान्तर्गत स्टेट बैंक की एक मिनी बैंक से 3.65 लाख रुपये चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना नरौरा पर मुअसं0 174/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तों से पैसे बरामद किये गये है। उक्त बदमाशों द्वारा ही दिनांक 22.08.2024 को थाना डिबाई क्षेत्रान्तर्गत डाकघर से 7.50 लाख रुपयों से भरा एक थैला चोरी किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना डिबाई पर मुअसं0 451/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1- विक्की पुत्र नाजम निवासी ग्राम कडिया थाना बोड़ा जनपद राजगढ़ मध्य प्रदेश।
- 2- प्रिंस पुत्र पुरुषोत्तम निवासी ग्राम कडिया थाना बोड़ा जनपद राजगढ़ मध्य प्रदेश।

बरामदगी-

- 1- 02 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 04 खोखा कारतूस।
- 2- 48500/- रुपये।
- 3- 02 चेक बुक।
- 4- 02 आधार कार्ड।

गिरफ्तार अभियुक्त विक्की का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-419/22 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली रुदौली जनपद अयोध्या।
2. मुअसं-492/22 धारा 379/411 भादवि थाना वछरावा जनपद रायबरेली।
3. मुअसं-365/23 धारा 307/399/402/34 भादवि व 25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली रुदौली जनपद अयोध्या।

4. मुअसं-511/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली रुदौली जनपद अयोध्या।
5. मुअसं-375/23 धारा 303(2) बीएनएस थाना अतरौली जनपद अलीगढ़।
6. मुअसं-441/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सादावाद जनपद हाथरस।
7. मुअसं-514/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना अतरौली जनपद अलीगढ़।
8. मुअसं-556/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना अतरौली जनपद अलीगढ़।
9. मुअसं-174/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।
10. मुअसं-144/24 धारा 379 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
11. मुअसं-451/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
12. मुअसं-498/24 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि० थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त प्रिस का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-277/17 धारा 323/406/498ए/504/506 भादवि व 3/4/7 डीबी एक्ट थाना चिरगांव जनपद झांसी।
2. मुअसं-348/22 धारा 147/323/336/354/452/504/506 भादवि थाना देहली गेट जनपद अलीगढ़।
3. मुअसं-144/24 धारा 379 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-174/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं-451/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं-556/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना अतरौली जनपद अलीगढ़।
7. मुअसं-375/23 धारा 303(2) बीएनएस थाना अतरौली जनपद अलीगढ़।
8. मुअसं-514/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना अतरौली जनपद अलीगढ़।
9. मुअसं-441/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सादावाद जनपद हाथरस।
10. मुअसं-498/24 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि० थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना डिबाई पर अग्रिम वैधानिक कार्यावाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जायेगा।

गिरफ्तार करने वाली थाना डिबाई पुलिस टीम-

- 1- श्री धर्मेन्द्र सिंह राठौर प्रभारी निरीक्षक थाना डिबाई।
- 2- उ०नि० अशोक, उ०नि० हरेन्द्र सिंह, उ०नि० देवेन्द्र कुमार शुक्ला, उ०नि० यूटी रोहिता।
- 3- हे०का० अजय कुमार, हे०का० राजेन्द्र, का० योगेन्द्र, का० सचिना।

गिरफ्तार करने वाली थाना नरौरा पुलिस टीम-

- 1- श्री हरवीर सिंह थाना प्रभारी नरौरा।
- 2- उ०नि० सुखपाल सिंह।
- 3- हे०का० सोनू, का० सुरेन्द्र डागर।

गिरफ्तार करने वाली स्वाट टीम देहात-

- 1- श्री लोकेश अग्निहोत्री प्रभारी स्वाट देहात।
- 2- हे०का० नितिन कुमार शर्मा, हे०का० अरुण कुमार, का० मनीष कुमार, का० आकाश कुमार, का० विपिन कसाना, का० अजय सोलंकी।



मीडिया सेल बुलंदशहर